न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 136 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 176
दायर दिनांक :— 19.07.2024 निर्णय दिनांक :— 28.04.2026

1. दुलेसिंह पुत्र प्रभुसिंह उर्फ अमरसिंह जाति राजपूत निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. भवानीसिंह दतक पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. भंवरसिंह पुत्र राजसिंह जाति राजपूत निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. भंवरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. हुकमाराम पुत्र रूगाराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. रामूराम पुत्र श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली
3. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधि. अ.सं. 1

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 306 रकबा 10.2952 हैक्टेयर ग्राम घंटियाली में स्थित है। जमाबंदी सम्वत् 2076—2079 एवं नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की खसरा संख्या 306 रकबा 10. 2952 हैक्टेयर के उतर में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 306 / 1, पश्चिम में सार्वजनिक रास्ता एवं उसके बाद में अप्रार्थी संख्या 2 भंवरसिंह पुत्र राजसिंह की खसरा संख्या 648 / 5 भाई बंट में आई भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 3 की खसरा संख्या 648 / 1 स्थित है। दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 4 हुकमाराम की खसरा संख्या 654 तथा पूर्व दिशा में आम रास्ता और उसके आगे अप्रार्थी संख्या 5 रामूराम के भाई बंट की खसरा संख्या 300 / 1 की भूमि आई हुई है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि तहसीलदार घंटियाली से पैमाईश आदेश दिनांक 08.02.2024 की

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

पालना में पटवारी हल्का घंटियाली से दिनांक 01.05.2024 को रूबरू मौतबिरान एवं पडोसियों के पैमाईश करवाकर मौके पर सीमा ज्ञान करवाने के बाद भूमि के चारो तरफ की सीमा पर सीमा चिन्ह कायम किये गये। आदेश एवं पैमाईश रिपोर्ट की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी ने अपनी खसरा संख्या 306 भूमि की सीमा पर बाड़ तारबंदी करने लगा तो अप्रार्थीगण में मना किया एवं झगडा करने पर उतारू हो गये। प्रार्थी की पैमाईश करवाई काश्त भूमि के चारों तरफ बाड़ तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी की फसल को पशु नुकसान पहुचाते है, प्रार्थी को बेवजह हैरान व परेशान होना पड़ रहा है। प्रार्थी पडोसियों से सोहार्दपूर्ण संबंध बनाकर बिना किसी लडाई झगडा खेत की पत्थरगढी करवाकर बाड़ तारबंदी करवाना चाहता है। जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश है। तहसीलदार प्रार्थना पत्र में वर्णीत काश्त भूमि के भूमिधारी होने से पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि भूमि खसरा संख्या 306 रकबा 10.2952 हैक्टेयर ग्राम घंटियाली भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 01.05.2024 के अनुसार प्रार्थी की हद में प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की और से श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब पेश करने का अवसर बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 306 रकबा 10.2952 हैक्टेयर ग्राम घंटियाली में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 01.05.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 306 रकबा 10.2952 हैक्टेयर ग्राम घंटियाली में स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 01.05.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम घंटियाली पटवार हल्का घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी खसरा संख्या 306 रकबा 10.2952 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 01.05.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1500/– प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)